बार एसोसिएशन का चुनाव

मारुत, अनूप व कामिनी संयुक्त सचिव, चंदन लाल अध्यक्ष, सुरेश पांडेय महामंत्री

लखनऊ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर चंदन लाल दीक्षित (सीएल दीक्षित) एवं महामंत्री पद पर सुरेश पांडेय को विजयी घोषित किया गया है। चंदन लाल दीक्षित ने 1950 मत प्राप्त किए जबकि सुरेश पांडेय को 1592 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार वर्मा ने 1714 मत पाकर विजय हासिल की जबकि उपाध्यक्ष मध्य (दो पद) पर आलोक कुमार द्विवेदी 'भाऊ' ने 1657 मत एवं भूपेन्द्र मणि सिंह ने 1355 मत प्राप्त कर अपनी जीत दर्ज कराई। इसी प्रकार उपाध्यक्ष कनिष्क पद की दावेदारी अतुल कुमार सिंह के हाथ लगी जिन्होंने 909 मत प्राप्त किए। जबकि कोषाध्यक्ष पद पर 1078 मत प्राप्त करने वाले देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा को विजयी घोषित किया गया है। संयुक्त सचिव के तीन पदों पर मारुत कुमार शर्मा, अनूप तिवारी एवं कामिनी ओझा को विजयी घोषित किया गया है। वरिष्ठ कार्यकारिणी के छह पदों पर प्रशांत कुमार द्विवेदी, 2204, जितेन्द्र कुमार सिंह, 1983 रंजीत कुमार शर्मा 1897, मयंक मोहन मिश्र 1869, देवेन्द्र कुमार सिंह 1827 शशि कांत पांडेय 1821, कनिष्ठ कार्यकारिणी के छह पदों पर लक्ष्मी नारायन मिश्र 1384, राशेंद्र प्रताप सिंह 1313, राहुल मिश्र 1300, मनीष पाल 1221, सुमित कुमार श्रीवास्तव 1187 एवं जितेन्द्र कुमार सिंह 1167 मत पाकर विजयी घोषित किए गए।

संविधान पुनरीक्षण

एक राष्ट्रीय आवश्यकता

अम्बेडकर सभागार राजस्व परिषद लखनऊ में अधिवक्ता परिषद लखनऊ उ.प्र. द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विधि परिचर्चा में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मा. न्यायमूर्ति राम सूरत राम (मौर्य) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, विशिष्ट अतिथि रमेन कुमार सिंह (पूर्व अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0) अमिताभ मिश्र (अध्यक्ष अवध बार एशोसियेशन व डॉ0 अमर पाल सिंह (प्रोफेसर राम0म0लो0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ) आदि की गौरवमयी उपस्थिति रही, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शशि प्रकाश सिंह (अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद उ0प्र0) ने की, संविधान पुनरीक्षण—एक राष्ट्रीय आवश्यकता पर परिचर्चा विषय पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के अनु0 370 को समाप्त करने व समान नागरिक संहिता को लागू कराया जाना ही अधिवक्ता परिषद का उद्देश्य नहीं है बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय—समय पर सरकार को दिये संविधान संशोधन सम्बन्धी दिशा निर्देश का अनुकरण करते हुए आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए अधिवक्ता परिषद ने भी माननीय न्यायमूर्ति पर्वत राव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान संशोधन/पुनरीक्षण कमेटी का गठन किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विनायक दीक्षित एम0 वी0 नरगुण्ड वरिष्ठ अधिवक्ता, अशोक मेहता वरिष्ठ अधिवक्ता (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) तथा विक्रमजीत बनर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता आदि कमेटी को आवश्यक संविधान संशोधन के संबंध में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देने के लिए अधिकृत किया गया है शशि प्रकाश सिंह ने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि पूर्व में अटल बिहारी बाजपेयी जी के कार्यकाल में भी संविधान संशोधन गठित संविधान पुनरीक्षण समिति को अपनी ओर से सुझाव एवं रिपोर्ट अधिवक्ता परिषद द्वारा दी गयी थी परन्तु उक्त रिपोर्ट पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उक्त कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ सिविल कोर्ट, राजस्व परिषद कलेक्ट्रेट तहसील आदि के अधिवक्ताओं ने परिचर्चा में भाग लिया, यह कार्यक्रम रवीन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट के संयोजकत्व में आयोजित किया गया तथा कपीश श्रीवास्तव व प्रमोद पाण्डेय आदि उक्त कार्यक्रम के सहसंयोजक के कुशल नेतृत्व में सफल आयोजन सम्पन्न हुआ।

उच्चतम न्यायालय में नव नियुक्त न्यायमूर्तिगण

ओजियाउद्दीन खान, एडवोकेट

उच्चतम न्यायालय में इन नव नियुक्त न्यायमूर्तियों के फलस्वरूप जजेज की संख्या ३० हो गई है। अब सिर्फ एक पद खाली है।

Justice Uday Umesh Lalit

Justice Abhay Manohar Sapre

Justice R. Banumathi

Justice Prafulla Chandra Pant

अच्छे न्याय के लिए जनता याद करे

-न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ला

लखनऊ। एक अच्छा न्यायाधीश वह है जिसे उसके अच्छे फैसले के लिए याद किया जाए। बुरे फैसले के लिए याद किया तो यह न्यायपालिका और न्यायाधीश दोनों के लिए ठीक नहीं है। ये बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस.एन. शुक्ला ने जे.टी.आर.आई. में नवनियुक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के प्रशिक्षण के दूसरे चरण के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा। अपनी बात को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आज भी उस न्यायाधीश का नाम और केस याद है जिसने १९७५ में एक आदेश सुनाया। यह आदेश सही नहीं माना गया। मैं नहीं चाहता कि कोई नवनियुक्त जजों को खराब आदेश के लिए याद करे। जज समाज के लिए लाइफ गार्ड हैं। अपना काम अच्छे से करें जिसके लिए आपको समाज हमेशा याद करे। संस्था के निदेशक उदयशंकर अवस्थी ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जस्टिस ए.आर. मसूदी का स्वागत किया। इस मौके पर उपनिदेशक पुष्पेंद्र सिंह, अपर निदेशक शोध डॉ. अनुपम गोयल आदि मौजूद रहे।

काम से पहचान : जस्टिस ए.आर. मसूदी

जस्टिस ए.आर. मसूदी ने कहा कि मैं जज बनने से पहले सोचता था कि समाज में सबसे खुलकर मिला करूंगा। सबसे अच्छे संबंध बनाऊंगा। यहां आकर लगा कि यह संभव नहीं होता। मेरा मानना है कि कोई वकील आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। वकील और आपका रिश्ता ऐसा हो कि वह आपके दिए न्याय को सराहे। आपकी गुणवत्ता की व्याख्या करे। काम से ही आपकी पहचान बने।

बेवजह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक लि. के शेयर वेदांता समूह को बेचने के राजग सरकार के २००२ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही इस मसले पर बेवजह की याचिका दायर करने पर २५ हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगा दिया। चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सवाल किया, आप कब्र से किसी चीज को क्यों बाहर निकाल रहे हैं। इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने पहले तो शर्मा पर ५० हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

इस अखबर को और भी बेहतर एवं न्यायतंत्रोपयोगी बनाने के लिये अपने विचार, सुझाव, न्यायतंत्र से जुड़ी खबरें तथा शिकायतें हमें निम्न पते पर भेज सकते हैं-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट, संपादक: 'जजमेण्ट आजतक'
हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677
E-mail: judgementaajtak@gmail.com